



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc2.lko-mef@nic.in, goimcoefrko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यूपी०/०४/०५/२०२४/एफ.सी. 112

दिनांक : 27.08.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015

विषय: 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित व 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 382/11-सी-FP/UP/TRANS/15538/2015, दिनांक 07.08.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-105/81-2-2024-800(92)/2024, दिनांक 18.06.2024 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 18.07.2024 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है।

प्रकरण को दिनांक 09.08.2024 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 09वीं बैठक में (Agenda No. 9.1 UP) सम्मिलित किया गया था, जिसपर चर्चा उपरान्त प्रकरण को निम्न बिन्दुओं के अभाव में स्थगित (Deferred) कर दिया गया :-

1. The revised .kml file of the complete route depicting Forest land as well as non-forest land needs to be uploaded on PARIVESH portal since the area in .kml file of proposed diversion area is 20.6763 ha and the area proposed for diversion is 19.9019 ha which is not matching.
2. As per the DSS, some parts of the forest block area in the KML file at Mainpuri, Auraiya and Kanpur Dehat districts have been demarcated as Non-Forest land. Thus, the rectified and revised KML file along with all related documents of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the PARIVESH portal.
3. The KML file of the alternate routes with demarcation of Forest area and Non-Forest area needs to be uploaded on the portal.
4. A Solar Power Plant is visible in Google earth Imagery close to the area proposed for CA in Meja Range. The concerned DFO needs to provide the approval details of Solar Power Plant and if the Solar power plant is in non-forest land, the DFO shall submit a certificate that the said solar plant is in Non-Forest Land.
5. Approval details of existing Transmission line close to the proposed Transmission line needs to be submitted.
6. Divisional Forest Officer (DFO) Kanpur Dehat to re-inspect the area proposed for diversion as it seems that some part of PF area is undervalued.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज/जानकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन अपलोड कराते हुए इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

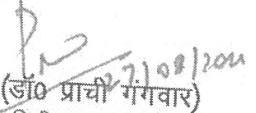
भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रयागराज एवं आगरा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरैया/फतेहपुर।
5. महाप्रबन्धक (पारिषण) एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल० विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 571 /11-सी-FP/UP/Trans/15538/2015, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 28, 2023

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रयागराज एवं आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरैया/फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— महाप्रबन्धक (पारिषण), एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

